FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत.......सहायक कलक्टर S.O.......मुकाम.......बायतु.......

.......धनदेवी.......बनाम.......मनोहर वगैरा.......

किस्म मुकदमा.......111,128 LR Act.......नं.......156/11.......सन.......

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.05.19	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री ....स्वयं....... ने यह प्रार्थना पत्र/~~वाद/अपील~~ धारा ....111, 128....... ~~राजस्थान काश्तकारी~~/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक ....11.06.19.......को पेश हो।	
11/06/19	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय रक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनाक 10/07/19 का पेश हों।	
10/07/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। चूंकि पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 04/11/19 को पेश हो।	
04/11/19	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय रक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनाक 17/12/19 का पेश हों।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 15:44:23 IST
Reason: SelfAttested

17/12/19

प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई, अंतिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई विपक्षीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया की प्रार्थीगण व विपक्षीगण की भूमि लेन मेन आई हुई है। प्रार्थी व विपक्षीगण के खेतों के बीच जो पुरानी मांडे व सीमा चिन्ह बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये है। बरसात होने पर प्रार्थीगण व विपक्षीगणों के मध्य हमेशा मेंडों को लेकर विवाद रहता है। इसलिए प्रार्थी को अपने खातेदारी खेत की पत्थरबन्दी करवाना आवश्यक है। लिहाजा प्रार्थी का पत्थरबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरबन्दी आदेश किया जावे। जिसमें तहसीलदार असफल रहे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का पत्थरबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमिश्नर व सम्बन्धित भू० अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की पत्थरबन्दी मौके पर कमिश्नर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर के कम हो दाखिल दफ्तर हो।

17.12.2019

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

क्रमांक /

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 15:44:23 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान—सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

कमांक / वाद / 2019 / 1002 दिनांकः— 17/12/19

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. चतरू देवी पत्नी खीमाराम वगैरा जाति भील निवासी परेऊ तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर		1. अखे सिंह पुत्र अमानसिंह वगैरा निवासी परेऊ तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या /19

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा लापुन्दड़ा मलवेचान के खेत खसरा नम्बर कमशः 361/130, 362/136 रकबा कमशः 01.13, 11.14 बीघा पटवार हल्का लापुन्दड़ा तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है वह तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर व संबंधित भू अभिलेख निरिक्षक को सहायक कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि कमीशनर स्वंय या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क रूपयें 500 जमा करा कर करें एवं पालना रिपार्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर संबंधित थाना अधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

17.12.2019
सहायक कलक्टर (SDO)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

कमांक / वाद / 2019 / 1003-07 दिनांकः— 17/12/19

प्रतिलिपि :— निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा।
2. पटवारी लापुन्दड़ा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्रीमति चतरू देवी वगैरा
4. विप्रार्थीगण श्री अखेसिंह वगैरा
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा ।

सहायक कलक्टर (SDO)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 15:44:23 IST
Reason: SelfAttested